न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र / 12 / 2018

1. श्रवण कुमार पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. घासीराम पुत्र नाथू
2. नानू उर्फ सांवरमल पुत्र नाथू
3. श्याना देवी पत्नि रणजीत
4. रहीश पुत्र रणजीत
5. भंवरी पुत्री रणजीत
   समस्त जाति जाट निवासीगण सिगडोला बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर
6. शारदा पुत्री रणजीत पत्नि रघुनाथ निवासी सिगडोला बड़ा हाल सांवलोदा लाडखानी तहसील धोद जिला सीकर
7. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज.

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम वास्ते करवाये जाने पत्थर गड्डी

–:निर्णयः– **दिनांक–25.05.2018**

प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैयह कि प्रार्थी के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.52 हैक्टेयर तन ग्राम बाजडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसका काबिज, खातेदारी, काश्तकारी प्रार्थी है।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.52 हैक्टेयर तन ग्राम बाजडोली का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने पटवारी हल्का मीरण व भू–अभिलेख निरीक्षक सूठोठ ने भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.52 हैक्टेयर तन ग्राम बाजडोली दिनांक 27.12.2017 को मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया एवं फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की जो प्रार्थना–के साथ संलग्न है। इसके अनुसार खसरा नम्बर 308 रकबा 2.15 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के कब्जे, उपयोग उपभोग की खातेदारी की होने के कारण व प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 307 के पश्चिमी तरफ अवस्थित होने के कारण, खसरा नम्बर 308 का नपत कर सीमाज्ञान किया गया इसलिये प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 307 के पश्चिमी सींव के पड़ौसी खसरा नम्बर 308 है, सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थर गड्डी आदेश करवाये जाने के आदेश किया जाना आवश्यक हैं।

यह कि प्रार्थी के खेत का सीमाज्ञान होकर पत्थर गड्डी नही होने से प्रार्थी व इनके परिवार को काफी क्षति कारित हो रही है, इसलिये खसरा नम्बर 307 रकबा 0.52 हैक्टेयर तन ग्राम बाजडोली का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 के अनुसार पत्थर गड्डी करवायी जानी न्यायोचित है।

यह कि अप्रार्थीगण सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 के अनुसार कायम किये गये सीमा चिन्हों को नष्ट करने पर आमादा है एवं सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गड्डी करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। यह कि प्रार्थना–पत्र दो रुपये के न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.52 हैक्टेयर तन ग्राम बाजडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के पश्चिमी तरफ की भूमि खसरा नम्बर 308 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 के अनुसार पत्थर गड्डी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें जिससे प्रार्थी सिंचित भूमि की बुवाई की जा सकें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार– 2018 कैम्प रूल्याणा माली में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वर्णित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन से जाहिर है कि दस्तावेजात के रूप में पेश फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 27.12.2017 में सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की मांग पर पत्थरगड्डी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Web Copy Not Official

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.52 हैक्टेयर तन ग्राम बाजडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के पश्चिमी तरफ की भूमि खसरा नम्बर 308 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 के अनुसार पत्थर गड्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ लिखा जावें कि वोह प्रकरण में सभी पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में विधिपूर्वक पत्थरगड्डी की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official